राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धर्मवीर बनाम रमेश 579/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/03/2026 को पेश हो।	
19/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 194/0.82 है. वाकै मौजा चुरी तहसील कोटपूतली में प्रार्थी मकानात कुआं बोरिंग बनाकर रिहायशी उपयोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के काश्त की भूमि आने जाने का कोई रास्ता रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 197/0.59 है. वाकै मौजा चुरी के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 है। उक्त भूमि में दक्षिण डोल के सहारे सहारे प्रार्थी अर्सा कदीम से अपने खेतों व कुए पर आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को 12 फुट रास्ता दिये जाने को कहा लेकिन वह साफ इंकार हो गये, जिस कारण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 197/0.59 है. वाकै ग्राम चुरी में से कीमतन 12 फुट रास्ता दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01/12/2021 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धर्मवीर बनाम रमेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर प्रार्थी के पास अपनी कृषि जोत तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना प्रकट होने पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01/12/2021 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	